पटना के उच्च न्यायालय में

टैक्स मामला सं.- 1982 के 126 और 1986 के 28

निर्धारण वर्ष के मामलेः 1776-1777

तय किया गयाः 01.08.2019

याचिकाकर्ताओंः **लोकनाथ गोयनका और अन्य**

बनाम

उत्तरदाताः **आयकर आयुक्त**

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 256 (i), धारा 64 (1) (iii)-कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975-धारा 2-1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी-आयकर न्यायाधिकरण, पटना द्वारा दिया गया संदर्भ-वित्तीय वर्ष-निर्धारण वर्ष-संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यदि कोई संशोधन किसी भी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को होता है-तो यह उस वित्तीय वर्ष के लिए आयोजित मूल्यांकन पर लागू होगा-लेकिन यदि संशोधन 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद लागू होता है तो नहीं-इस मामले में यह अगले मूल्यांकन वर्ष पर प्रभावी होगा।

आयोजित किया गयाःआय कर अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान की देनदारी तय करने के लिए, आय के संचय की तारीख प्रासंगिक है-यदि प्रावधान किसी विशेष वित्तीय वर्ष में लागू होता है, तो यह उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू होगा, लेकिन पिछले वर्ष के मूल्यांकन के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है-संशोधन अधिनियम ने एक नया कर दायित्व पेश किया जो 1 अप्रैल, 1976 से लागू हुआ-जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और पिछले लेखा वर्ष यानी 1975-76 निर्धारण वर्ष के अनुरूप यानी नए प्रावधान के तहत एक नया दायित्व निर्धारित किया गया है। और देयता का निर्धारण करने की दर नहीं-आयकर अधिनियम के तहत नए देयता को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है-देयता केवल एक व्यक्ति पर निर्धारित की जा सकती है यदि वह संचय के समय मौजूद थी और मूल्यांकन के समय नहीं।

पटना के उच्च न्यायालय में

टैक्स मामला सं.- 1982 के 126 और 1986 के 28

निर्धारण वर्ष के मामलेः 1776-1777

तय किया गयाः 01.08.2019

याचिकाकर्ताओंः **लोकनाथ गोयनका और अन्य**

बनाम

उत्तरदाताः **आयकर आयुक्त**

माननीय न्यायमूर्तिगण/कोरमः

ज्योति सरन, मधुरेश प्रसाद और मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्तिगण

सलाहकारः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः डी.वी. पैथी, एमिकस क्यूरी

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः ऋषि राज सिन्हा, सीनियर एससी, आईटी और शिल्पी केशरी, जूनियर एससी, आईटी

निर्णय

मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. ये दोनों मामले आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 256 (i) के तहत आयकर न्यायाधिकरण, पटना पीठ, पटना द्वारा दिए गए एक संदर्भ से उत्पन्न होते हैं।

2. संदर्भ में विचार करने की बात यह है कि क्या अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में कानूनी रूप से सही था कि साझेदारी फर्म से नाबालिग बेटों को जमा

की गई पूंजी पर ब्याज के हिस्से सहित निर्धारिती के नाबालिग बेटों की शेयर आय की गणना निर्धारण वर्ष की धारा 64 (1) (iii) के तहत उनके पिता के हाथों में की जानी थी। उक्त प्रावधान आयकर अधिनियम में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा 1.4.1976 से लागू किया गया था, जबकि तत्काल काराधान मामला सं.- 26/1983 और 28/1986 में निर्धारिती का लेखा वर्ष क्रमशः 10.8.1975 और 31.12.1975 को समाप्त हो गया था।

3. अधिकारियों की राय थी कि इस सवाल का जवाब बद्री प्रसाद और अन्य बनाम आय कर आयुक्त के मामले में दिए गए खंड पीठ के फैसले में दिया गया था। मनु/बी. एच./0068/1990:(1990) खंड 185 आई. टी. आर. 307, जिसने इस मुद्दे को निम्नलिखित शब्दों में समाप्त कियाः

> "यह कर कानूनों का एक प्रमुख सिद्धांत है कि लागू किया जाने वाला कानून वह है जो निर्धारण वर्ष की शुरुआत में लागू होता है। (करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य देखें) मनु/एस.सी./0155/1965:[1966] 60 आई. टी. आर. 262 (अनुसूचित जाति) और मानेकलाल वल्लभदास पारिख एंड संस बनाम सी. आई. टी. मनु/जी. जे./0097/1967:[1969] 72 आईटीआर 637 (गुजरात)।
>
> तत्काल मामले में, प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष 1976-77 है। इसलिए, 1 अप्रैल, 1976 को लागू कानून, प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन को नियंत्रित करेगा।
>
> न्यायाधिकरण, हमारी राय में, यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि जिस फर्म में उन्हें भागीदार के रूप में भर्ती किया गया था, उससे नाबालिग बेटों की शेयर आय का आकलन उनके पिता के हाथों में कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1 अप्रैल, 1976 से संशोधित अधिनियम की धारा 64 (1) (iii) के प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता था।

इसलिए इस न्यायालय को भेजे गए प्रश्न का हमारा उत्तर सकारात्मक और निर्धारिती के खिलाफ है। ”

4. यह तब है जब खंड पीठ के समक्ष इन दो मामलों में विचार के लिए मुद्दा उठा कि केसोरम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड, बनाम संपत्ति कर आयुक्त (केंद्रीय), कलकत्ता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मनु/एस. सी./0142/1965 में बतायाःए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1370 पर निर्धारिती के वकील ने यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि आयकर का भुगतान करने का दायित्व आय के संचय पर निर्भर करता है और इसका उस समय से कोई लेना-देना नहीं है जब कर प्राधिकरण द्वारा गणना की जाती है। यह विद्वान वकील का निवेदन था कि केसोरम इंडस्ट्रीज (ऊपर) के मामले में निर्णय पर खंड पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया था जिसने बद्री प्रसाद (ऊपर) के मामले का फैसला किया था।

5. यह ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खंड पीठ, जो 1986 का कर मामला संख्या 28 पर विचार कर रही थी, ने दिनांक 08.05.1996 के आदेश द्वारा इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को विचार के लिए भेजा।

6. यह आयकर अधिनियम की धारा 256 (i) के तहत है, आयकर न्यायाधिकरण पटना पीठ ने पहले वर्ष 1982 में इसी प्रश्न को इस न्यायालय की राय के लिए भेजा था, जो 1982 के कर मामले संख्या 126 से उत्पन्न कार्यवाही में विचाराधीन रहा और यह 1986 के कर मामले संख्या 28 में पहले के आदेश पर ध्यान दे रहा है कि 1982 के कर मामले संख्या 126 पर विचार कर रही खंड पीठ ने भी इसी प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा था।

7. तदनुसार दोनों मामले संदर्भ का उत्तर देने के लिए हमारे सामने हैं।

8. पूरा मुद्दा अधिनियम की धारा 64 (1) (iii) के दायरे और प्रयोज्यता पर उत्पन्न होता है। इसलिए यह न्यायालय प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना उपयोगी समझेगा जो निम्नानुसार हैंः .

> "64.जीवनसाथी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय। (1) किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना में, ऐसी सभी आय शामिल की जाएगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती है।
>
> .....
>
> (iii) ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे को नाबालिग के प्रवेश से लेकर किसी फर्म में साझेदारी के लाभ तक। ....."

9. स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि दोनों तत्काल मामलों में, फर्म का लेखा वर्ष धारा 64 (1) (iii) के लागू होने से बहुत पहले ही बंद हो गया था। धारा 64 (1) (iii) के लागू होने से पहले लेखा वर्ष बंद होने के बावजूद, आयकर न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 64 (1) (iii) के तहत निर्धारिती पिता की आय के हाथों साझेदारी फर्म से नाबालिग बेटों की शेयर आय को जोड़ा।

10. श्री डी. वी. पैथी ने कर मामले संख्या- 126/1982 में निर्धारिती की ओर से न्यायालय की सहायता की है। 1986 के कर मामला संख्या 28 में निर्धारिती को वैध नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी निर्धारिती की ओर से पेश नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने श्री पैथी से 1986 के कर मामले संख्या 28 में भी न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया है। हमने विभाग की ओर से विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री ऋषि राज सिन्हा को भी सुना है।

11. दोनों मामलों में मुद्दे एक ही हैं।

12. दोनों मामलों में निर्धारिती की ओर से पेश श्री पैथी ने कहा है कि संशोधन अधिनियम के प्रावधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि 01.04.1976 से प्रभावी हो गए हैं। यह उनका निवेदन है कि भले ही नाबालिग की शेयर आय उससे पहले अर्जित की गई हो, लेकिन संशोधन अधिनियम की धारा 64 (i) (iii) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में पिता की कर योग्य आय की गणना करने के उद्देश्य से इसे माता-पिता की आय में जोड़ा जाना चाहिए।

13. विद्वान वकील ने बद्री प्रसाद (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक उद्धरण पैराग्राफ 3 में ऊपर निकाला गया है। यह उनका निवेदन है कि बद्री प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ द्वारा व्यक्त विचार और राय को देखते हुए, मुद्दा अब सुलझा लिया गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 1.4.1976 से लागू हुआ है और इस तथ्य के बावजूद कि दोनों निर्धारिती का लेखा वर्ष इससे पहले बंद हो गया था, निर्धारिती के नाबालिग बच्चों की आय उनकी कुल आय की गणना करते समय उनके पिता के हाथों जोड़ी जा सकती थी।

14. श्री पैथी की प्रस्तुतियों के अनुसार, कर देयता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की तारीख पर लागू कानून प्रासंगिक है। वह प्रस्तुत करता है कि आय अर्जित करने का समय संशोधन अधिनियम के लागू होने के उद्देश्य से अप्रासंगिक है। इस तथ्य के बावजूद कि आय अर्जित हो गई है और निर्धारिती का लेखा वर्ष 1.4.1976 से पहले समाप्त हो गया है, संशोधन अधिनियम जो 1.4.1976 से प्रभावी हुआ है, लेखा वर्ष 1975-76 के अनुरूप लेखा वर्ष 1976-77 में निर्धारिती की कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए लागू होगा। उनके अनुसार, करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का पैरा 8, MANU/SC/0155/1965 में सूचित किया गया हैःए.

आई. आर. 1966 एस. सी. 1385, जिस पर बद्री प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में भरोसा किया गया है, उनके तर्क का समर्थन करता है।

करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में फैसले का पैरा 8 इस प्रकार हैः

> "अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आयकर अधिनियम, जैसा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन संशोधित किया जाता है, उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू होना चाहिए। अधिनियम में कोई भी संशोधन जो किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन के बाद लागू होता है, उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू नहीं होगा, भले ही मूल्यांकन वास्तव में संशोधनों के लागू होने के बाद किया गया हो।"

15. इस न्यायालय की राय में, संविधान पीठ द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति, न तो बद्री प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा सराही गई है और न ही श्री पैथी द्वारा प्रचार किया गया है। वास्तव में संविधान पीठ ने जो निर्णय लिया है वह यह है कि यदि कोई संशोधन किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को होता है, तो यह उस वित्तीय वर्ष के लिए आयोजित मूल्यांकन पर लागू होगा, लेकिन तब नहीं जब संशोधन 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद लागू होता है, जिस स्थिति में यह अगले मूल्यांकन वर्ष से प्रभावी होगा। उक्त कानून को संदर्भ के तहत दो मामलों के तथ्यों पर लागू करने से, यह देखा जाता है कि संशोधन अधिनियम के प्रावधान वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन लागू हुए। करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैरा 8 में तय की गई कानूनी स्थिति के अनुसार, संशोधन वित्तीय वर्ष 1976-77 यानी मूल्यांकन वर्ष 1977-78 के लिए आयोजित किए जाने वाले मूल्यांकन पर लागू होगा। करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ के फैसले के पैरा 8 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करके यह अटूट निष्कर्ष निकाला गया है।

16. केसोरम इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में शीर्ष अदालत का पिछला फैसला 24.11.1965 को तय किया गया था, जो 15.12.1965 को तय किए गए करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप है। केसोरम इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

> **26.** न्यायिक निर्णयों से अप्रभावित, आइए हम शुरू में दोनों अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को देखें। आयकर अधिनियम की धारा 3 के तहत, जहां कोई केंद्रीय अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि किसी भी वर्ष के लिए किसी भी दर या दरों पर आयकर लगाया जाएगा, उस दर या उन दरों पर कर उस वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन लिया जाएगा। "आरोपित" वाक्यांश का उपयोग केंद्रीय अधिनियम अर्थात वित्त अधिनियम और आयकर अधिनियम दोनों के मामले में किया जाता है। आवश्यक रूप से, इसलिए, उनका उपयोग दो अलग-अलग अर्थों में किया जाता है। उस वर्ष के लिए कर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन लगाया जाना है, लेकिन उक्त शुल्क वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार होगा। यह निर्माण दोनों अधिनियमों के बीच स्पष्ट संघर्ष को सुसंगत बनाएगा। जब आप वित्त अधिनियम की धारा 2 को देखते हैं, तो यह दर्शाता है कि आयकर पहली अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट दरों पर लगाया जाएगा, और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 55 के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट दरों पर लगाया जाएगा। वित्त अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य केवल दरों को निर्धारित करना है ताकि आयकर अधिनियम के तहत कर लगाया जा सके। आयकर अधिनियम एक स्थायी अधिनियम है जबकि वित्त अधिनियम हर साल पारित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य उस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के तहत ली जाने वाली दरों को तय करना है। यह निर्माण आयकर अधिनियम की धारा 55 द्वारा भी स्पष्ट

किया जाना चाहिए, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी आदि की पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में किसी भी वर्ष के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा उस वर्ष के लिए निर्धारित दर या दरों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। यह धारा प्रभारित कर और जिस दर पर यह प्रभारित किया जाता है, उसके बीच के अंतर को सामने लाती है। इस निर्माण पर आयकर अधिनियम की धारा 67-बी द्वारा भी जोर दिया गया है, जिसके तहत यदि किसी वर्ष में 1 अप्रैल को उस वर्ष के लिए आयकर लगाने के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रावधान नहीं किया गया है, तो आयकर अधिनियम तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि ऐसा प्रावधान इस तरह से नहीं किया जाता है जैसे कि पिछले वर्ष में लागू प्रावधान या संसद के समक्ष विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान, जो भी निर्धारिती के लिए अधिक अनुकूल हो, वास्तव में लागू था। इससे पता चलता है कि शुल्क लगाने की धारा आयकर अधिनियम की केवल धारा 3 है और वित्त अधिनियम की धारा 2 केवल कर की मात्रा निर्धारित करने के लिए दर देती है क्योंकि यह धारा आकस्मिकता में वित्त अधिनियम की मात्रा निर्धारित करने का विकल्प देती है जो उस वर्ष के 1 अप्रैल को नहीं की गई थी। भले ही ऐसा कोई अधिनियम बनाया गया हो, आयकर अधिनियम के तहत शुल्क केवल आयकर अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में लगाया और लागू किया जा सकता है। यदि यह निर्माण है, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि नवीनतम कर देयता लेखा वर्ष के अंतिम दिन उत्पन्न होगी।

33. संक्षेप में कहें तोःऋण एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए एक वर्तमान दायित्व है, चाहे वह राशि परसेंटी में देय हो या भविष्य मेंःडेबिटम प्रेसेन्टी में, सॉल्वेंडम फ्यूचुरो में। लेकिन आकस्मिकता पर देय राशि तब तक ऋण नहीं बन जाती जब तक कि उक्त आकस्मिकता नहीं हो जाती। आयकर का भुगतान करने की देनदारी एक वर्तमान देनदारी है, हालांकि यह पता लगाने योग्य आंकड़ों के अनुसार

परिमाणित होने के बाद देय हो जाती है। लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन किसी भी दर पर एक पूर्ण ऋण होता है न कि एक आकस्मिक देयता। दर का हमेशा आसानी से पता लगाया जा सकता है। यदि वित्त अधिनियम पारित किया जाता है, तो यह उस अधिनियम द्वारा निर्धारित दर है; यदि वित्त अधिनियम अभी तक पारित नहीं किया गया है, तो यह संसद के समक्ष लंबित वित्त विधेयक में प्रस्तावित दर या पिछले वर्ष में लागू दर है, जो भी निर्धारिती के लिए अधिक अनुकूल हो। "ऋण" के सभी तत्व मौजूद होते हैं। यह एक निश्चित राशि का वर्तमान दायित्व है।

36. जिन कारणों के बारे में हमने पहले बताया है, हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं। इसलिए हम मानते हैं कि आयकर का भुगतान करने का दायित्व धन कर अधिनियम की धारा 2 (एम) के अर्थ के भीतर एक ऋण है और यह लेखांकन वर्ष के दौरान मूल्यांकन तिथि को उत्पन्न होता है।

17. करीमथारूवी टी एस्टेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से केसोरम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ते हुए, यह न्यायालय यह विचार करेगा कि निर्धारिती (न्याय मित्र) के साथ-साथ विभाग के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क केवल वित्त अधिनियम या अधिभार प्रदान करने वाले अधिनियम के तहत निर्धारित दर के संबंध में किया जा सकता है यदि इसे उस मूल्यांकन वर्ष के 1 अप्रैल को लागू किया जाता है जिसमें पिछले वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि यह केवल आयकर अधिनियम के तहत मौजूदा देयता के लिए दर का पता लगाने के लिए प्रदान करेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। नए प्रावधान के तहत, यानी धारा 64 (1) (iii) के तहत एक नया दायित्व निर्धारित किया गया है, न कि दायित्व का पता लगाने के लिए दर। आयकर अधिनियम के तहत इस तरह के नए दायित्व को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। इस तरह के दायित्व को

किसी व्यक्ति पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है जब यह संचय के समय मौजूद था न कि मूल्यांकन के समय। केशोरम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 33 में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस स्थिति को स्पष्ट करती हैं।

18. केशोरम इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के साथ-साथ करीमथारुवी टी एस्टेट लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देखते हुए इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं होगा कि आयकर अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान के दायित्व का निर्णय करने के लिए, आय के संचय की तारीख प्रासंगिक होगी। यदि प्रावधान किसी विशेष वित्तीय वर्ष में लागू होता है, तो यह उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू होगा, लेकिन पिछले वर्ष के मूल्यांकन के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।

19. संशोधन अधिनियम ने 1.4.1976 से आयकर अधिनियम में एक नई धारा 64 (1) (iii) पेश की। अतः उक्त प्रावधान के तहत कर देयता निर्धारिती से उस आकलन में ली जा सकती है जो उस लेखा वर्ष के लिए किया जाना था अर्थात 1976-77, जो निर्धारण वर्ष 1977-78 में किया जाएगा। 1.4.1976 से प्रभावी एक नए कर दायित्व को लागू करने वाले संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी नहीं दिया जा सकता है और इसे पिछले लेखा वर्ष यानी 1975-76 के लिए लागू किया जा सकता है जो निर्धारण वर्ष के अनुरूप है अर्थात 1976-77।

20. हमारे द्वारा की गई पूर्वगामी चर्चाओं और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि बद्री प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

21. कानून के मुद्दे को स्पष्ट कर दिया गया है जैसा कि ऊपर कहा गया है, संदर्भ का जवाब दिया गया है। तत्काल कार्यवाही में पूर्ण पीठ द्वारा विचार किए गए कानून के संदर्भ में मामले को निपटाने के लिए मामले को खंड पीठ को भेज दिया जाता है।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।